भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4649
28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

गुर्दे की चिरकालिक बीमारियों की व्याप्तता

†4649. श्री डी. एम. कथीर आनंद:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत की 10 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गुर्दे (वृक्क) की चिरकालिक बीमारियों से प्रभावित है जबकि प्रतिवर्ष एक लाख से अधिक रोगी गुर्दा खराब होने से पीड़ित होते हैं, जिसके वर्ष 2030 तक बढ़कर प्रतिवर्ष 2 लाख रोगी हो जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मुद्दे पर सरकार का क्या रुख है;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान गुर्दे की चिरकालिक बीमारियों से प्रभावित व्यक्तियों की वर्षवार, राज्यवार संख्या कितनी है;
(ग) क्या इस संबंध में सरकार/किसी वृक्क अनुसंधान/वृक्क विज्ञान अनुसंधान संस्थान ने कोई विशिष्ट सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो उसके परिणाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा ऐसे रोगों का प्रारंभ में ही पता लगाने और ऐसे रोगों से ग्रस्त रोगियों हेतु डायलिसिस और दवा की आपूर्ति सहित वहनीय उपचार का प्रबंध करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं और विगत पांच वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी निधि आवंटित की गई है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने बताया है कि 2020 में 'द लैंसेट' में प्रकाशित निष्कर्षों के अनुसार, भारत में चिरकालिक गुर्दा रोग (सीकेडी) की आयु मानकीकृत व्याप्तता वर्ष 1990 से 2017 के बीच 5.6% बढ़ी है। विवरण https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30045-3 पर देखा जा सकता है।

आईसीएमआर ने वर्ष 2018 में "शहरी भारतीय आबादी में वयस्कों में चिरकालिक गुर्दा रोग की व्याप्तता का पता लगाने के लिए बहु-केंद्रिक अध्ययन" शीर्षक से एक बहु-केंद्रिक टास्क फोर्स परियोजना पूरी की है। यह अध्ययन सात शहरों (दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी, भुवनेश्वर और जयपुर) में किया गया था। अध्ययन में कुल 15,372 प्रतिभागियों को नामांकित किया गया था। प्रथम दौरे में 11.4% प्रतिभागियों में गुर्दा रोग का पता चला। कुल मिलाकर, 47.2% प्रतिभागियों का 3 महीने बाद फिर से परीक्षण किया गया। अध्ययन में सीकेडी की व्याप्तता 9.4% पाई गई।
चिरकालिक गुर्दा रोग से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या का डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। वित्तीय वर्ष 2019 से फरवरी, 2025 तक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (पीएमएनडीपी) के तहत

डायलिसिस सेवाओं का लाभ उठाने वाले चिरकालिक गुर्दा रोग से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	**रोगी (लाख में)**
2019-20	2.43
2020-21	3.59
2021-22	3.35
2022-23	4.69
2023-24	4.53
2024 -25 (फरवरी)	4.33

भारत सरकार पीएमएनडीपी के तहत हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस सेवाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इस कार्यक्रम में देश के सभी जिला अस्पतालों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बीपीएल) सी.के.डी. रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। पीएमएनडीपी को कुल 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 748 (49 सहबद्ध) जिलों में 1609 केंद्रों पर 11,148 हेमो-डायलिसिस मशीनों के साथ कार्यान्वित किया गया है। फरवरी, 2025 तक कुल 27.28 लाख रोगियों ने डायलिसिस सेवाओं का लाभ उठाया और 329.45 लाख हेमो-डायलिसिस सत्र आयोजित किए गए। वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पीएमएनडीपी पर किया गया राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार राज्य पीआईपी अनुमोदन **अनुलग्नक** में है।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएमजेएवाई) के तहत चिरकालिक गुर्दा रोग सहित गैर-संचारी रोगों का उपचार भी उपलब्ध है। इस योजना में मध्यम और विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं, जिससे 55 करोड़ लोगों को लाभ मिलता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में पीएम जेएवाई के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी, चाहे उनकी आय कुछ भी हो, स्वास्थ्य कवरेज में शामिल करने की मंजूरी दी है।

आवश्यक दवाओं और नैदानिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा चिरकालिक गुर्दा रोग के रोगियों की जेब से होने वाले खर्च को कम करने के लिए राष्ट्रीय निःशुल्क औषधि सेवा पहल और निःशुल्क निदान सेवा शुरू की गई है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत जन औषधि केंद्र चिरकालिक गुर्दा रोग सहित एनसीडी के लिए रियायती दरों पर सस्ती दवाएं उपलब्ध कराते हैं।

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने विभिन्न चिकित्सीय श्रेणियों में 928 अनुसूचित दवा -सूत्रों की अधिकतम कीमतें तय की हैं, जिनमें चिरकालिक गुर्दा रोग से संबंधित 11 अनुसूचित दवा-सूत्र (चिकित्सीय श्रेणी "डायलिसिस घटक (हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस)" के अंतर्गत 1 हेमोडायलिसिस सोल्यूशन और "मूत्रवर्धक" श्रेणी के अंतर्गत 10 दवा-सूत्र) शामिल हैं।

अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक एनएचएम के अंतर्गत पीएमएनडीपी पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार राज्य पीआईपी अनुमोदन

लाख रु. में

क्र.सं.	राज्य	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
2	आंध्र प्रदेश	3,068.83	0.00	4,934.42	5,307.87	5,680.55
3	अरुणाचल प्रदेश	128.92	144.44	150.76	611.66	728.99
4	असम	516.36	1,129.62	859.01	1,715.75	1,985.98
5	बिहार	684.00	0.00	2,962.57	3,112.37	3,521.01
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	28.00	4.00	4.25
7	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	768.48	1,182.40	1,225.48
8	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	2.22	2.22
	दमन और दीव	0.00	0.00			
9	दिल्ली	0.00	0.00	2,010.00	703.84	709.03
10	गोवा	259.20	0.00	1,064.32	1,247.32	1,234.32
11	गुजरात	1,980.00	0.00	3,267.50	4,308.05	4,280.60
12	हरियाणा	0.00	0.00	350.00	337.95	337.95
13	हिमाचल प्रदेश	300.00	0.00	200.00	291.50	309.50
14	जम्मू और कश्मीर	350.00	0.00	562.71	303.00	768.60
15	झारखंड	189.00	0.00	18.50	826.76	674.56
16	कर्नाटक	2,718.00	3,450.00	4,554.00	7,735.07	6,604.02
17	केरल	0.00	7.00	947.30	1,522.36	1,024.14
18	लक्षद्वीप	0.00	0.00	14.00	18.70	19.64
19	मध्य प्रदेश	1,269.96	1,269.96	1,063.73	1,965.30	3,073.97
20	महाराष्ट्र	370.00	0.00	247.88	2,516.93	1,488.39
21	मणिपुर	309.60	4.80	444.74	563.33	568.83
22	मेघालय	100.00	50.00	63.36	65.07	50.05
23	मिजोरम	0.00	0.00	6.54	49.01	40.95
24	नगालैंड	23.50	1.97	199.20	247.28	208.53
25	ओडिशा	1,120.54	1,311.80	2,377.10	2,413.73	3,317.57
26	पुदुचेरी	115.20	0.00	81.40	107.20	105.10
27	पंजाब	300.00	0.00	267.00	185.14	196.29
28	राजस्थान	500.00	538.00	1,267.40	877.31	877.31
29	सिक्किम	90.00	0.00	206.03	98.50	14.83
30	तमिलनाडु	1,700.00	0.00	3,644.85	966.32	1,224.30
31	तेलंगाना	500.00	2,783.08	0.00	64.74	54.95
32	त्रिपुरा	34.52	26.57	73.14	210.41	202.85
33	उत्तर प्रदेश	3,198.50	12,817.04	0.00	8,097.37	11,691.30
34	उत्तराखंड	335.00	303.00	280.00	259.74	263.26
35	पश्चिम बंगाल	4,000.00	0.00	4,568.13	6,586.68	7,248.67
36	लद्दाख	-	0.00	100.06	204.86	194.06

*****